भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3706

दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

सिक्किम की लिम्बो और तमांग अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

†3706. श्री इंद्रा हांग सुब्बाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सिक्किम की लिम्बो और तमांग अनुसूचित जनजातियों के लिए लंबित सीट आरक्षण के मामले में संविधान के अनुच्छेद 332 का उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस लंबित मुद्दे को हल करने में बाधा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। सिक्किम विधान सभा में सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर सिक्किम राज्य सरकार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ आवश्यक परामर्श किया गया है। सिक्किम विधान सभा में सीटों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 371च(च) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

******